न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प चांदजी की खेडी बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–36 / 2018 दायर तारीख 05.04.2018

1. खाना धाकड निवासी अमृतपुरीया (मृतक):–
   1.1 रामचन्द्र पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरीया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.2 बंशीलाल पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरीया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.3 मोडीबाई पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरीया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.4 कमली बाई पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरीया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.5 शांतिबाई पिता खाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरीया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

..............वादीगण

बनाम

1. पन्ना पिता बैणा जाति धाकड (मृतक):–
   1.1 शंकरलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.2 मंजु पुत्री पन्नालाल पत्नि गोपाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.3 गीता पुत्री पन्नालाल पत्नि कमलेश जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
   1.4 संजु पुत्री पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. बरदीचन्द कामडपिता लच्छु कामड जाति कामडउम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

धनश्याम धाकड अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः– दिनांक 05.06.2018

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का मौजा चुन्ना की भाटी प0ह0 चांदजी की खेडी के खाता संख्या 13 पर अंकित खाते के अनुसार खसरा संख्या 147 / 141 रकबा 3–07 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज सुदा चला आ रही है। वादी उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है। उक्त आराजीयात का प्रतिवादीगण से कोई संबंध वास्ता नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा 0–05 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2

वादी को प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा स्वामित्व निहित नही होते हुये भी प्रतिवादीगण ने पत्थरगढी करवाने के बाद भी जबरन वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लिया एंव मुश्किल मुकाम को भी उखाड कर फेंक दिया एंव वर्तमान में प्रतिवादीगण ने जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल कर रखा है। प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य की वजह से वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से एंव भूमि के उपयोग उपभोग में महरुम होना पड रहा है। वादी प्रतिवादीगण से वापस कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। वादी को वाद हेतुक दिनांक 18.06.2012 से उत्पन्न होकर सतत रुप से जारी है। वादी द्वारा दिनांक 20.06.2013 को प्रतिवादीगण से कहा कि आपके द्वारा मेरी भूमि में जो कब्जा कर रखा है उसे हटालो मेरे को मेरी भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न होगी तो प्रतिवादीगण भडक गये और वादी के साथ गाली गलोच कर मारपीट पर आमादा हो गये। वादी स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि में काश्त नही कर पा रहा है एंव वादी द्वारा दिनांक 28.08.2013 को पुनः कब्जा हटाने हेतु कहा गया लेंकिन प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नही हटाया गया तभी से वाद कारण उत्पन्न हो सतत रुप से जारी है। वादी स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही कब्जा प्राप्त होने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावे। वादपत्र डिक्री फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण 1 व 2 की और से मुकेश धाकड अधिवक्ता ने अन्डर टेकिंग ली। प्रतिवादी नं0 1 की और से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं0 2 के विरुद्व एकपक्षिय कार्यवाही कर जवाब प्रस्तुत किया गया।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 मौका पर्चा, पत्थरगढी की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया।

वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टि0एक्ट0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रतिवादी पन्ना (मृतक) के वारिसान के विरुद्व प्रकरण में चाही गई रिलीफ को छोडते हुये शेष प्रतिवादीगण के विरुद्व चाही गई रिलीफ (अनुतोष) प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 बंशीलाल पिता खाना धाकड निवासी अमृतपुरीया तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि हमारे पिताजी के नाम से चली आ रही खातेदारी की भूमि 3–07 बीघा ग्राम चुन्ना की भाटी में आ0नं0 147 / 141 है , जो हमारे नाम पर पिता जी का देहान्त होने से विरासत से दर्ज है। जिस पर 5 बिस्वा बैणा धाकड ने एंव 15 बिस्वा भूमि पर [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
[illegible](भीलवाड़ा)

बयान में लिखवाया कि ग्राम चुन्ना की भाटी में भूमि 3–07 बीघा स्थित है। जिसके आ0नं0 147/141 है, यह मेरे पिताजी खाना पिता पन्ना के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिस पर हमारा कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन की पत्थरगढी दिनांक 18.06.2012 को कराई गई जिसमें मौका पर्चा में 5 बिस्वा भूमि पर बैणा धाकउ निवासी लक्ष्मीनिवास का कब्जा पाया गया, एंव 15 बिस्वा भूमि पर बरदीचन्द पिता लच्छू कामड निवासी गोपालपुरा का अवैध कब्जा पाया गया। वादपत्र में मेरे द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत् 2068 से 71 पेश की है जो ई एक्स पी–1 है, नक्शा ट्रेस ई एक्स पी–2 है, मौका पर्चा ई एक्स पी–3 है। अतः उक्त हमारी भूमि पर हमे 1–00 बीघा भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

बहस एकपक्षिय वादी अधिवक्ता की सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्व दिनांक 26.04.2017 को एकपक्षिय कार्यवाही करते हुये उनका जवाब बंद कर दिया गया। दिनांक 28.11.2017 को प्रतिवादीगण के विरुद्व एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 पन्ना की मृत्यू पश्चात उसके वारिसानों की और से वकील श्री मुकेश धाकड उपस्थित हुये। पत्रावली में दिनांक 05.06.2018 को पेश हुई। वादीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उन्हे प्रतिवादी संख्या 1 पन्ना के वारिसानों के विरुद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहिये। इस संबंध में इन्होने लिखित में भी दिनांक 05.06.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही होने के कारण तनकी कायम नही की गई। वादी ख0नं0 147/141 जमाबंदी का रिकार्डेड खातेदार है। दिनांक 18.06.2012 के पत्थरगढी के मौका पर्चा अनुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसानों के विरुद्व कोई अनुतोष नही चाहा है। कब्जा प्रतिवादीगण का पर्चा मौका ईएक्स पी–3 से स्पष्ट है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा हटाकर वादी को कब्जा सम्भलाये जाने हेतु तहसीलदार बिजौलियां को निर्देशित किया जाता है। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम चुन्ना की भाटी पटवार हल्का चांदजी की खेडी की आराजी नं0 147/141 रकबा 3–07 बीघा भूमि में से 15 बिस्वा भूमि बरदीचन्द कामड पिता लक्ष्छु कामड निवासी गोपालपुरा का कब्जा हटवाया जाकर भूमि जमाबंदी अनुसार वादीगण को सिपूर्द किया जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

05/06/18

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां (केम्प चांदजी की खेडी)
राजस्व लोक अदालत